भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1142
गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पवन ऊर्जा का विकास</u>

1142. श्री रामदास तडसः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा पवन ऊर्जा के विकास के लिए महाराष्ट्र में कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्धा और अमरावती को इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि इन दोनों जिलों में पवन ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग): देश में अधिकतर पवन विद्युत परियोजनाएं उच्च पवन संभाव्यता वाले स्थलों पर परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर निजी क्षेत्र के डेवलपरों द्वारा स्थापित की गई हैं। भारत सरकार ने महाराष्ट्र के वर्धा और अमरावती जिले सहित देश में पवन ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं;

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना
- वित्त वर्ष 2029-30 तक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत ऊर्जा खपत के अपने कुल हिस्से के प्रतिशत के रूप में नामित उपभोक्ताओं द्वारा पवन ऊर्जा के लिए अलग हिस्से सहित, गैर-जीवाश्म स्रोतों (अक्षय ऊर्जा) की खपत के न्यूनतम हिस्से के संबंध में अधिसूचना।
- लगाओ और चलाओ (प्लग एंड प्ले) आधार पर अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए भूमि और पारेषण उपलब्ध करना
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,

- विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले नियमावली 2022 को अधिसूचित करना,
- पवन विद्युत जनरेटरों के निर्माण के लिए आवश्यक कुछ कंपोनेंटों पर रियायती सीमा शुल्क छूट,
- दिनांक 31 मार्च 2017 को या उससे पहले चालू की गई पवन परियोजनाओं को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) प्रदान किया जा रहा है,
- 'नेशनल रिपावरिंग एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी फॉर पावर प्रोजेक्ट्स-2023' जारी करना,
- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के माध्यम से पवन संसाधन मूल्यांकन और संभावित स्थलों की पहचान सहित तकनीकी सहायता।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में पवन ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- 2500 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लक्ष्य के साथ अक्षय ऊर्जा नीति-2020 की घोषणा की गई है। नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं
  (i) रीपावरिंग और हाइब्रिडाइजेशन के लिए प्रोत्साहन
  (ii) कैप्टिव पवन विद्युत परियोजनाओं हेतु 10 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क (ईडी) से छूट।
  (iii) पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए गैर-कृषि (एनए) में छूट।
- महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (मेडा) ने वर्धा और अमरावती जिलों में निम्नलिखित स्थानों पर वायु संसाधन अध्ययन किए:

क्र.सं.	गांव	तालुका	जिला
1	मोथा	चिखलदरा	अमरावती
2	मखाला		
3	लवादा		
4	रानीगांव	धारणी	
5	भानखेड़ा	अमरावती	
6	वीरगांव	तिवासा	
7	मोइ	अस्थि	वर्धा
8	गार्पिथ	करंज	

- मेडा ने अमरावती जिले में मेडा के स्वामित्व वाली भूमि पर पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं के विकास के लिए महाजेनको के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

*****